अनुस्मारक-I

संख्या -11022/01/2019-हिंदी
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
***

एनडीसीसी-।। भवन, 8वां तल
नई दिल्ली, दिनांक: 04 दिसम्बर, 2019

कार्यालय ज्ञापन

विषय : **राजभाषा नियम 1976 (यथासंशोधित,1987) के नियम 8 (4) के अनुसार हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त सभी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा हिन्दी में कार्य करने के लिए व्यक्तिशः आदेश जारी करना ।**

राजभाषा नियम 1976 (यथासंशोधित, 1987) के नियम 10 (4) के अंतर्गत, गृह मंत्रालय के 80% से अधिक कार्मिकों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त होने के कारण इसे अधिसूचित किया जा चुका है। ऐसे अधिसूचित मंत्रालय में राजभाषा नियम 1976 (यथासंशोधित, 1987) के नियम 8 (4) के अनुसार, हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को भी अपना समस्त कार्यालयीन कार्य (टिप्पण, प्रारूपण, इत्यादि) केवल हिन्दी में ही करना अपेक्षित है। इसलिए गृह मंत्रालय के हिन्दी में प्रवीणता/कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्बंध आंकड़े एकत्रित किए जा रहें है।

2) अनुरोध है कि आप अपने अनुभाग में अधीनस्थ तैनात सभी कर्मचारियों की हिन्दी भाषा से संबंधित जानकारी संलग्न प्रपत्र में पूरी तरह से भरवा कर **दिनांक 13.12.2019 तक हिन्दी अनुभाग, गृह मंत्रालय, एनडीसीसी-।। बिल्डिंग, 8वां तल, जय सिंह मार्ग, नई दिल्ली को भिजवा दें तथा इसकी सॉफ्ट कॉपी अपने अनुभाग की ईमेल से संयुक्त निदेशक (राजभाषा) की ईमेल** dir_ol@nic.in पर भी भिजवा **दें।** कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि भविष्य में अनुभाग में आने वाले सभी नए कर्मचारियों से भी यह प्रपत्र भरवा कर अधोहस्ताक्षरी को अवश्य भिजवाया जाए। इस संबंध में दिनांक 20.08.2019 को भी समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन द्वारा अनुरोध किया गया था।

संलग्नक : यथोपरि।

(राकेश कुमार)
संयुक्त निदेशक (राजभाषा)
दूरभाष : 011-23438192;
ई-मेल: dir_ol@nic.in

सेवा में,
गृह मंत्रालय के सभी अधिकारी/कर्मचारी/अनुभाग

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

हिन्दी में प्रवीणता/कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कार्मिकों की जानकारी

अनुभाग : ____________________

1. नाम व पदनाम :
2. कर्मचारी कोड :
3. मातृभाषा :
4. सेवानिवृत्ति की तिथि :
5. शैक्षिक योग्यता :
6. हिन्दी किस स्तर तक पढ़ी है (✓ सही लगाएँ) : मैट्रिक/स्नातक/स्नातकोत्तर/अन्य
7. हिन्दी माध्यम से प्राप्त शैक्षिक योग्यता (✓ सही लगाएँ) : मैट्रिक/स्नातक/स्नातकोत्तर/अन्य
8. क्या आपने अनिवार्य सेवाकालीन हिन्दी प्रशिक्षण प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ प्राप्त किया है? : हाँ/नहीं
9. क्या आपको हिन्दी में *प्रवीणता/**कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है? :

नाम व पदनाम :

दिनांक सहित हस्ताक्षर :

मोबाइल/दूरभाष संख्या :

- संबंधित अनुभाग अधिकारी/प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर:
- नाम व पदनाम :
- दिनांक :
- दूरभाष सं. :
- ईमेल पता :

* प्रवीणता	** कार्यसाधक ज्ञान
हिन्दी में प्रवीणता का अर्थ है कि यदि किसी कर्मचारी ने - (क) मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य कोई परीक्षा हिन्दी के माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है; या (ख) स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा कि समतुल्य या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिन्दी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया था; या (ग) यदि वह इन नियमों के उपाबद्ध प्रारूप में यह घोषणा करता है कि उसे हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है; तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है।	हिन्दी में कार्यसाधक ज्ञान का अर्थ है कि (क) यदि किसी कर्मचारी ने - (i) मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा हिन्दी विषय के साथ उत्तीर्ण कर ली है; या (ii) केंद्रीय सरकार की हिन्दी प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा या, यदि उस सरकार द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के पदों के संबंध में उस योजना के अंतर्गत कोई निम्नतर परीक्षा विनिर्दिष्ट है, वह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है; या (iii) केंद्रीय सरकार द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है; (ख) यदि वह इन नियमों में उपाबद्ध प्रारूप में यह घोषणा करता है कि उसने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है; तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

...